न्यायालय में, [redacted], मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

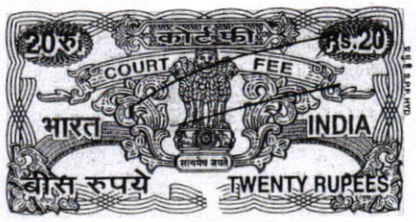

अनिल सराफ पिता श्री बृजलाल सराफ निगरानी-3459/2018/शहडोल/भू०रा०
निवासी पुराना गांधी चौक शहडोल तहसील–
सोहागपुर, जिला शहडोल म0प्र0 ---- निगरानीकर्ता

बनाम

1– नीरज कुमार सराफ पिता श्री जमुना सराफ
निवासी किरनटाकीज रोड वार्ड नम्बर 25 शहडोल
तहसील सोहागपुर जिला शहडोल म0प्र0

2– म0प्र0 शासन ------ उत्तरदातागण

Rohit Shrivastava presented on dated 05/06/2018

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भूराजस्व संहिता 1959</u>

मान्यवर,

रोहित श्रीवास्तव प्रार्थी/निगरानीकर्ता की ओर से निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत कर सादर विनय है :–

श्री रोहित श्रीवास्तव द्वारा आज दि. 5-6-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 13-6-18 नियत।

प्रश्नाधीन आदेश

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय नजूल अधिकारी शहडोल जिला शहडोल संभाग शहडोल म0प्र0 के राजस्व प्रकरण कमांक 21/वी–121/2017–2018 मे पारित आदेश दिनांक **16.03.2018** (**नीरज कुमार सराफ** बनाम **अनिल कुमार सराफ**) जिसके माध्यम से निगरानीकर्ता के द्वारा किये जा रहे निम्राण कार्य को रोके जाने का आदेश दिया गया है ।

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम शहडोल पटवारी हल्का शेहडोल, राजस्व निरीक्षक मण्डल सोहागपुर नम्बर 01. तहसील सोहागपुर जिला शहडोल म0प्र0 स्थित भूमि खसरा नम्बर 190 भू–खण्ड कमांक 99 म0प्र0 शासन नजूल भूमि है जिसके अंश रकवा 210 वर्गमीटर

(9)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/3459/2018/शहडोल/भू.रा. अनिल सर्राफ विरूद्ध नीरज कुमार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-08-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र शुक्ला अभिभाषक उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । यह निगरानी नजूल अधिकारी शहडोल के प्रकरण क्रमांक 21/वी-121/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 16-03-2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है । 3. नजूल अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-03-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । नजूल अधिकारी द्वारा राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन का अवलोकन करने के पश्चात दिनांक 16-03-2018 को स्थगन आदेश पारित कर उक्त भूमि पर निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई थी । ऐसी स्थिति में नजूल अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है, जिससे उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता हो । 4. फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । पक्षकार सूचित हो । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । रीडर सदस्य 7.8.18	2